

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016—पौष 18, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए)331-85-ब-2-दो.—श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक कार्य होने के कारण दि. 17 से 26 दिसम्बर 15 तक दस दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री बी. मारिया कुमार, भा.पु.से., विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 26 से 28 दिसम्बर 2015, तक दो दिवस आकस्मिक अवकाश के साथ विज्ञप्त अवकाश अवधि में स्वयं को खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1-35-2015-ब-2-दो.—श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (विशेष शाखा-जी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर-ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-III, 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 3 से 27 नवम्बर 2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद, में, दिनांक 29 नवम्बर 2015 से 5 दिसम्बर 2015 आस्ट्रेलिया से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को दि. 7 से 10 दिसम्बर 2015 तक चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ (एक्स इण्डिया लीव्ह) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (विशेष शाखा-जी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2015

फा. क्र. 3(ए)4-2015-इक्कीस-ब(एक)-2118.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री श्याम बिहारी भार्गव, प्रथम

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को प्रस्तुत सूचना-पत्र के अनुसार नियम-16 (2-ए आल इंडिया सर्विस (डेथ-कम-रिटारमेंट बेरेफिट) नियम 1958 सहपठित नियम 12(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976, सहपठित नियम-17, म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 1994 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें दिनांक 31 अगस्त 2015 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 17(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2997-2015.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(एक) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 31, 42, एवं 44 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु. (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
31	सागर	श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सागर.
42	उज्जैन	श्री एन. पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
44	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़).

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E) 44-2013-XXI-B(One)-3533-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008); the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes

the following amendments in this Department's Notification No. F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial no. 31, 42 & 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
31	Sagar	Shri Sanjeev Dutta, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Sagar.
42	Ujjain	Shri N. P Singh, Additional Sessions Judge, Ujjain.
44	West Nimar Mandleshwar.	Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Mandleshwar, West Nimar.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3552-15.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88/21-ब(एक) दिनांक 24-10-2009 में, जो म. प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है यथा:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
10	सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर

F. No. 1-1-88-XXI-B-1-3552-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government, hereby makes the following amendment in this Department Notifications F. No. 1-1-88-XXI-B(1) dated 24-10-2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 6th November, 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 10 & entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:—

SCHEDULE

Serial Number (1)	Sessions Judge/Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
10	Sessions Judge, Chhatarpur	Chhatarpur

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 39), राज्य शासन, कु. बाबीं जुनेजा पिता श्री अरविन्द सिंह जुनेजा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है। उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 33), राज्य शासन, श्री कन्हैया जी, पिता श्री शंकर लाल वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला फिरोजाबाद उ. प्र. है। उसकी जन्मतिथि 02 मार्च, 1989 है।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 46), राज्य शासन, श्री नीरज कुमार प्रजापति, पिता श्री बी. सी. प्रजापति

को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है। उसकी जन्मतिथि 10 अगस्त, 1981 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 9-2-2006-58.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ

ऐसोसिएशन के आर्टिकल्स-74(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव, म. प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्थान पर श्री अशोक वर्णवाल, म. प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को संचालक मंडल में सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है तथा निम्नानुसार अधिकारियों को भी निगम के संचालक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:—

(1) श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

(2) श्री सी. आर. लोही, संचालक, केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी, ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्र. 568-2015-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामड

(ग) ग्राम—लोगनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम लोगनी रकबा 0.300 हे. सिंचित एवं 1.600 हे. असिंचित

अनुसूची (2)

ग्राम—लोगनी:—

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी लोगनी.	242 244 245	0.770 0.280 0.550	- - -	0.770 0.280 0.550	0.770 0.280 0.550
	कुल योग . . .	3	1.600	-	1.600	1.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	जुझारसिंह, कालुसिंह, भगवानसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत नि. लोधनी.	21	0.300	0.300	-	0.300
कुल योग . .			1.900	0.300	1.600	1.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रहिमगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामड के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. 1690-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सोनकच्छ-कमलापुर मार्ग पर ग्राम गोला के समीप नदी पर स्थित पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

- (क) जिला—देवास
- (ख) तहसील—हाटपीपल्या
- (ग) ग्राम—गोला
- (घ) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री फतेसिंह पिता भगवतसिंह निवासी ग्राम गोला तहसील हाटपीपल्या	130 129 पेकी	0.05 हे. 0.10 हे.

कुल सर्वे नंबर-02 कुल प्रस्ताव-01

उपरोक्त कृषकों की भूमि सोनकच्छ-कमलापुर मार्ग पर ग्राम गोला के समीप नदी पर स्थित पुल एवं पहुँच मार्ग के अंतर्गत ग्राम गोला की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण सम्भाग उज्जैन मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1696-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम

क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कमलापुर सामगी के मध्य कालीसिंध नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत निर्माण के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—हाटपीपल्या
(ग) ग्राम—किल्लौद एवं सामगी
(घ) कुल प्रस्ताव—04

क्र.	नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री भीमसिंह पिता प्रहलादसिंह, निवासी ग्राम किल्लौद	210/1	0.160 हे.
02	श्री कैलाश पिता हरनाथसिंह निवासी ग्राम किल्लौद	210/2	0.08 हे.
03	श्री रतनसिंह पिता हरनाथ सिंह, निवासी ग्राम किल्लौद	210/3	0.09 हे.
04	श्री भवानीशंकर पिता बालाजी, निवासी ग्राम सामगी	441	0.280 हे.

कुल सर्वे नंबर-04 कुल प्रस्ताव-04

उपरोक्त कृषकों की भूमि कमलापुर सामगी के मध्य कालीसिंध नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण के अंतर्गत ग्राम किल्लौद एवं सामगी की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण सम्भाग उज्जैन मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियां के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. 1770-भू-अर्जन-15.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जनोली तालाब योजना स्पील चैनल निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम:—मोहम्मदखेडा

तहसील:—टोंकखुर्द

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि स्पील चैनल	0.10	0.19	0.29
योग . .		0.10	0.19	0.29

अनुसूची (2)

स्पील चैनल में आने वाली निजी भूमि

स. क्र.	प्रमाणित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	फूलसिंह पिताभागीरथसिंह जाति सेंधव पता निवासी ग्राम मोहम्मद खेड़ा भूमि स्वामी.	191/1	0.09	-	0.09	0.09
2	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मोहम्मदखेड़ा भूमि स्वामी.	239/1	0.10	0.10	-	0.10
		244	0.03	-	0.03	0.03
		245	0.04	-	0.04	0.04
		248	0.03	-	0.03	0.03
			योग . .	0.10	0.19	0.29

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 06-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

- परियोजना का नाम.— बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु
- भूमि का विवरण.— ग्राम मोने का खेरा तहसील-बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—9.254 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चतू लखन तनय खरगा जाति ढीमर पता नि. डारगुंवा भूमि स्वामी धनबाई कली पार्वती पुत्री गुविन्दी जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-5.00.	10.68/2	2.000	0.270
			योग . .	0.270

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	दिविया तनय कलुवा हि. 1/2 जाति ढीमर पता नि. ग्राम डारगुंवा भूमि स्वामी कूरा बाबू तनय तिजू रमकू सरजू जमना पुत्री तिजू जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व -0.19	1067	0.077	0.048
		योग . .	0.077	0.048
3	पन्ना दयाराम तनय गोवर्धन हि. 1/10 प्यारे तनय सल्ला हि. 1/10 राजाराम भरोसा तनय नन्ने भूमि स्वामी हि. 1/10 भागवत रामस्वरूप, तुलसी तनय दुरगा 1/10 प्यारी बाई पुत्री नन्दकिशोर हि. 1/10 सुकदीन मथुरा तनय हल्का परम रामस्वरूप तनय रामचरन सिंह. 1/20 धरमदास गोली कालीचरन मथुरा तनय गेवुवा भूमि स्वामी हि. 1/20 तुलसी बाई पत्नि अजुद्दी हि. 3/20 रामदीन गोवर्धन तनय कडोरा हि. 1/10 भूमि स्वामी दिविया तनय कलुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/20 भाग भूमि स्वामी कूरा बाबू तनय तिजू रकू सरजू जमना पुत्री तिजू जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/20 समान भाग भूमि स्वामी.	1060 1064	2.501 0.061	0.420 0.016
		योग . .	2.562	0.436
4	नाथूराम रामप्रसाद मानिक तनय दौलत हि. 1/12 मौती दामोदर रामकूपाल तनय बृजलाल मु. बेटा बाई वेवा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी दुलीचन्द्र सुकलाल स्वामी प्रसाद डलारे तनय हीरा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद स्वामी प्रसाद मानक हि. 1/8 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हरचरन रामस्वरूप दिनेश तनय पंची मु. रामदुलारी बेबा पंची जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी अनंतराम छोटेलाल तनय रामदीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मथुरा जानकीबाई सुआबाई तुलसीबाई फूलबाई पुत्री रामदीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लक्ष्मण गोवर्धन गोविन्ददास तनय देशराज मु. दर्जी बेबा देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी प्रकाश बैजनाथ तनय चिन्तापन गीता धर्माबाई पुत्री चिन्तामन सियाबाई बेबा चिन्तामन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 144.	438 437	0.481 0.182	0.150 0.050
		योग . .	0.663	0.200
5	भगवानदास हीरा मथुरा तनय भल्लू हि. 1/3 मथुरा प्रसाद हीरालाल तनय भल्लू हि. 2/9 मोती राजू जाति लोधी भगवानदास हि. 1/9 नि. ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी गणेश तनय लब्बू शांती पुत्री लब्बू जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व-1.37	406	0.113	0.006
		योग . .	0.113	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	रामप्रसाद नारायणदास, गोवर्धन, छोटेलाल, दरयाव राममिलन तनय सरजू भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.31	413 419 418 424	0.299 0.433 0.028 0.085	0.018 0.295 0.020 0.015
	योग . .		0.845	0.348
7	गनेश तनय लम्बू हि. 1/3 भगवानदास हीरा मथुरा तनय भल्लू हि. 2/3 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	396/2/3 मिन-2	0.405	0.166
	योग . .		0.405	0.166
8	रामप्रसाद नारायणदास गोवर्धन तनय सरजू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-1.87	394	0.757	0.340
	योग . .		0.757	0.340
9	खरगा तनय खुमना जाति लोधी पता नि. ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री सुनू जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/18 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई पत्नि गनेश सुदामा बाई पत्नि तुलसीदास हल्लीबाई पत्नि देशराज जाति लोधी पता नि. ग्राम 5/18 समान भाग भूमि स्वामी.	390 392 389 386 387 388	0.036 0.235 1.319 0.316 0.065 0.356	0.015 0.025 0.650 0.042 0.008 0.215
	योग . .		2.327	0.955
10	बालचंद भगू तनय कुनू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-0.56	380 375 368 376	0.223 0.271 1.356 0.769	0.175 0.210 0.570 0.540
	योग . .		2.619	1.495
11	अमना तनय जगू हि. 1/2 कल्लू तनय अपना जाति चमार पता नि. ग्राम कछियाखेरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.31	374	0.121	0.002
	योग . .		0.121	0.002
12	हरजुवा तनय सुन्ना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.19	371	0.073	0.060
	योग . .		0.073	0.060
13	गिरधा हल्ले तनय गजई जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.42	122/1 117 119	0.59 0.121 0.656	0.418 0.045 0.075
	योग . .		1.367	0.538

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	मु. रती बेबा गौरीशंकर बाबू काशीराम सीताराम जगदीश तनय गौरीशंकर जाति असाटी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गुड्डी पुत्री गौरीशंकर राजकुमार हस्गोविन्द देवेन्द्र तनय मातादीन जाति असाटी पता नि. ग्राम 1/20 समान भाग भूमि स्वामी लखन तनय किशनदास जाति असाटी पता नि. ग्राम 1/10 भाग भूमि स्वामी पन्ना गोवर्धन तनय किशनदास जाति असाटी पता नि. ग्राम 17/20 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व-1.58	122/2	0.652	0.462
		योग . .	0.652	0.462
15	हरप्रसाद हरी मनसुख बिजन तनय चिन्तामन मु. जुगल बेबा चिन्तामन राजकुमारी पुत्री चिन्तामन जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	120/2/1	1.214	0.712
		योग . .	1.214	0.712
16	दमरू तनय पारीक्षत जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-3.00	120/2/2	1.214	0.712
		योग . .	1.214	0.712
17	किशोरी हरचरन मनमोहन भगवानदास तनय पुन्ना हि. 5/7 रामप्यारी पानबाई पुत्री पुन्ना मु. बेटीबाई बेवा पुन्ना हि. 2/7 जाति लुहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बेवा पुन्ना जाति लुहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.50.	85 86	0.841 0.405	0.035 0.360
		योग . .	1.246	0.395
18	गुलाबबाई पत्नि राधे जाति चमार पता नि. ग्राम 40/71 भाग भूमि स्वामी काला तनय मनुवा जाति चमार पिता नि. ग्राम 31/71 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व-0.81	87 88	0.328 0.388	0.004 0.120
		योग . .	0.716	0.124
19	ग्यासी तनय कूरा कूरा तनय डोमा हिस्सा बराबर जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-0.75	90 89 92	0.304 0.314 0.04	0.160 0.175 0.040
		योग . .	0.658	0.375
20	कूरा तनय डोमा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्यासी तनय कूरा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी अच्छेलाल तनय डोमा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/4 भाग	91	0.045	0.030
		योग . .	0.045	0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	अच्छेलाल कूरा तनय डोमा हि., 1/2 जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-2.44	93	0.886	0.310
		योग . .	0.886	0.310
22	गनपत तनय मनुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-4.50	95	1.894	0.030
		योग . .	1.894	0.030
23	मु. हिरिया वेवा मुलुवा हरजुवा भागीरथ खुशीराम काशीराम तनय मुलुवा हि. 1/10 दमरूआ पता सरमन तनय पारीछत हि. 1/3 भूमि स्वामी हरप्रसाद हरि मनसुखा विजय तनय चिन्तामन जुगल वेवा चिन्तामन हि. 1/10 चतुर्भुज तनय पिरूवा 1/4 जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गेंदाबाई पत्नि चतुर्भुज जाति अहिरवार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी अखिलेश आकाश ना. बा. तनय अमना सर, पिता खुद जाति चमार पता नि. ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00	94	1.400	0.550
		योग . .	1.400	0.550
		कुल योग . .	25.554	9.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बलदेवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है:—

1. परियोजना का नाम.— बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु
2. भूमि का विवरण.— ग्राम—डारगुंवा जागीर तहसील—बलदेवगढ़, जिला—टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—4.943 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पल्टू तनय बृजलाल गनेशी, सखी जगू चुरखो पुत्री बृजलाल ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी दीनदयाल तनय मुल्ला गोरिया, लक्ष्मी पुत्री मुल्ला उददू तनय मिथईया जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87	461 462	0.146 0.049	0.135 0.040
		योग . .	0.195	0.175

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	पर्वता, दम्भू पुत्रगण भगू जाति ढीमर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	457/2/2	2.023	0.505
		योग . .	0.023	0.505
3	धरमा, सुकदीना पुत्रगण सल्ला जाति ढीमर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	457/2/4	2.000	1.080
		योग . .	2.000	1.08
4	गनेश त. हल्लूचत्तु बेबा हल्लू जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	438/1	2.023	0.377
		योग . .	2.023	0.377
5	बुद्धी तनय दीना जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	438/2	0.809	0.809
		योग . .	0.809	0.809
6	रघुवा तनय कमला बेटीबाई पत्नि लक्ष्मना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.87.	438/3	0.722	0.304
		योग . .	0.722	0.304
7	हरजुवा पुत्र सुन्ना जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रघुवा तनय कमला गिरजा पुत्री कमला जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी लाल्ले धर्मदास अमर तनय लक्ष्मना धनबाई पुत्री लक्ष्मना बेटीबाई बेबा लक्ष्मना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुकेश बृजेश तनय वीरन नीलम पुत्री वीरन भुवना बेबा वीरन जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि-स्वामी.	434 437 433	0.016 0.069 0.235	0.008 0.065 0.020
		योग . .	0.320	0.093
8	जयराम तनय सरिया जाति बाढई पता नि. डारगुंवा भूमि स्वामी.	366/1	0.405	0.160
9	मिट्टू पुत्र नारायणदास जाति ब्राम्हाण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/2	1.744	0.636
		योग . .	1.744	0.636
10	हरि राममिलन रामकिशोर प्रेमलाल छोटेलाल तनय लइयन मु. मनकूबाई बेबा लइयन जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/3	1.619	0.354
		योग . .	1.619	0.354
11	श्रीमती गुलाबबाई पत्नि अनंतराम जाति लोधी पता नि. कछियाखेरा भूमि स्वामी.	367	0.914	0.095
		योग . .	0.914	0.095

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	शोभाराम रामकिंकर विन्द्रावन तनय भज्जू 1/3 नन्दकिशोर तनय हरप्रसाद हि. 1/3 भूमि स्वामी गनेश रमेश लखन तनय बेनीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व-4.69.	369/1/1	2.023	0.355
योग . .			2.023	0.355
कुल योग . .			14.797	4.943

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्लदेवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2014-15.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014-सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है:—

1. परियोजना का नाम.— बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु
2. भूमि का विवरण.— ग्राम—हटा तहसील—बल्लदेवगढ़, जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—1.704 हेक्टेयर.

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बज्जू बाबूलाल तनय कल्लू जमना पुत्री कल्लू जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1861 1904	0.154 0.733	0.030 0.080
योग . .			0.887	0.110
2	लोड़ा तनय तुलसिया जाति चमार नि. रमपुरा.	1866	1.080	0.660
योग . .			1.080	0.660
3	पन्ना तनय करी जाति यादव पता नि. ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी रामसेवक पिता करी जाति यादव पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी.	1867 1868	0.202 1.088	0.018 0.500
योग . .			1.290	0.518
4	बन्दु बल्लदेव भगवत रामनाथ हनमत हल्काई जयराम भैयन पिता गिलौंजी जाति यादव पता नि. ग्राम 8/9 समान भाग भूमि स्वामी नन्नी मल्लू राजाबेटी पुत्री गिलौंजी पता निवासी ग्राम 1/9 समान भाग भूमि स्वामी.	1902	2.926	0.416
योग . .			2.926	0.416
कुल योग . .			6.183	1.704

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण—टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

रा. प्र. क्र.-05-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत **पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-डुंगरिया ब. न.-113 प. ह. नं.-32 रा. नि. मं.- चौरई.	मीराबाई पति हरिप्रसाद तेली निवासी ग्राम-डुंगरिया, भूमि स्वामी.	105/2	0.238	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.238	

- (2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) जिला-विदिशा

विदिशा, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. क्यू-स्था.निर्वा.-मंडी नि.-2015-1199.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 17-बासौदा, जिला विदिशा के लिये उप निर्वाचन-2015 के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

वार्ड क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
06	श्री जगदीश दांगी पुत्र उदयराम दांगी	कृषक सदस्य	42, ग्राम नानू खेड़ी, पोस्ट आटासेमर, तहसील बासौदा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला होशंगाबाद (मंडी निर्वाचन)

होशंगाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. 375-50-13-मंडी नि.-समिति गठन-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर, होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का क्रमांक व नाम	संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता	प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	41-पिपरिया	विधायक प्रतिनिधि	श्री ठाकुरदास नागवंशी, विधायक, बैनर्जी कालोनी, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	मं. अधि.-धारा 11(1) (घ)

टीप.—उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्र. 118, दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है।

अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2014

क्र. 1387-स्था. निर्वा.-2014.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 06 एवं तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक सदस्य/तुलैया प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
01.	मेहरबान सिंह/हुल्कर	कृषक सदस्य	छैनाकछार पो. मारेगांव
02.	राहुल पटैल/अन्नीलाल	तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि	हनुमान वार्ड गाडरवारा

नरसिंहपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 1055-स्था. निर्वा.-2015.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 04 एवं 09 से उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
01.	श्री अशोक/श्री भोजराज सिंह	कृषक सदस्य	ग्राम मालहनवाड़ा पो. गोटीटोरिया तह. गाडरवारा.
02.	श्री इमरत लाल/श्री किशनलाल गौड़	कृषक सदस्य	ग्राम प्रेमपुर पो. हीरापुर तह. गाडरवारा

नरेश पाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मंडी निर्वाचन) जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 343-मंडी निर्वा.-2015.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि मण्डी उप निर्वाचन, 2015, में कृषि उपज मण्डी समिति, इछावर, जिला सीहोर के वार्ड क्रमांक 6/4 गऊखेड़ी के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्रीमति अनुसुईया बाई पति बनेसिंह	कृषक सदस्य	ग्राम-गऊखेड़ी पोस्ट-जमोनिया फतेहपुर, तहसील-इछावर, जिला-सीहोर (म. प्र.).

क्र. 345-मंडी निर्वा.-2015.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि मण्डी उप निर्वाचन, 2015, में कृषि उपज मण्डी समिति, रेहटी, जिला सीहोर के वार्ड क्रमांक 8/3 रेहटी के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्रीमती दगड़ी बाई पति मनोहरसिंह	कृषक सदस्य	ग्राम-होली टेकरा, रेहटी पोस्ट-रेहटी तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर (म. प्र.).

क्र. 347-मंडी निर्वा.-2015-16.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत सीहोर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा, प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्यामपुर	श्री ईश्वर पचौरी आत्मज श्री देवीप्रसाद, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम बाजार गाँव, पोस्ट बरखेडा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म. प्र.).	धारा-11(1)(घ) के अन्तर्गत विधायक प्रतिनिधि.
2	सीहोर	श्री नारायण सिंह पटेल आत्मज श्री हेमराज सिंह, आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुरा पोस्ट मुंगावली तह. व जिला सीहोर (म. प्र.).	

सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. 16850-सा. लि.-15.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

एक—नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है.

दो—सारणी के कालम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नम्बर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है.	ग्रामों एवं कालोनीयों क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
थाना सुआतला, जिला नरसिंहपुर	-	नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी, राजमार्ग.

No. F-2(K) 2-08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2(K)-19-2012-B-3-2, BHOPAL, DATED 8th August 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the State Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":—

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table:

Name of the Police Station (with tehsil and the District from which excluded)	Name of the Village/Local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./ Local Areas	Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included
(1)	(2)	(3)
POLICE STATION SUATALA, NARSINGHPUR	NIL	POLICE CHOWKI JHIRA GHATI, RAJMARG NARSINGHPUR

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, जिला दण्डाधिकारी.

**अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ (आर.एण्ड.डी. सेल) योजना शाखा पु.मु.
(लेखाशीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन 3680-राज्य मुख्यालय)**

स. क्र.	सलाहकार (कन्सल्टेंट) संविदा के आधार पर)	अति. पुलिस अधीक्षक के समकक्ष	उप पुलिस अधीक्षक समकक्ष	योग
1		1	4	5

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु.मु. के पद (लेखाशीर्ष-114-बेतार और कम्प्यूटर-783-कम्प्यूटर शाखा)

स. क्र.	पद का नाम	संख्या
1	सूबेदार (एम.)	16
	योग	16

प्रशासन शाखा पु.मु. भोपाल (लेखाशीर्ष 001—निर्देशन और प्रशासन, 3680-राज्य मुख्यालय)

स. क्र.	पद का नाम	संख्या
1	सहायक पुलिस महानिरीक्षक-विभागीय जांच एवं अपील	1
2	उप निरीक्षक (एम)	2
3	सहायक उप निरीक्षक (एम) कम्प्यूटर आपरेटर	4
	योग	7

यातायात संचालनालय के पद (लेखाशीर्ष-001—निर्देशन और प्रशासन-3680-राज्य मुख्यालय)

सहायक महानिरीक्षक (SPS) उप पुलिस अधीक्षक	निरीक्षक	सूबेदार	उप निरी.	स.उ.नि.	प्रधान आरक्षक	योग
1	रक्षित निरीक्षक कार्यालय अधीक्षक जिला पुलिस बल	शीघ्र लेखक उ.व.लि. वर्ग-1 आंकिक	जिला पुलिस बल अनुसूचिवीय बल	जिला पुलिस बल अनुसूचिवीय बल कम्प्यूटर आपरेटर	जिला पुलिस बल कम्प्यूटर आपरेटर चालक	35
3	4	2	2	3	4	
	1	1	2	2	2	
	4			1		

**यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकियों की स्थापना
(लेखाशीर्ष-109-जिला पुलिस-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना))**

स. क्र.	जिले का नाम	चौकी का नाम	चेक पोस्ट का नाम	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	प्रधान आरक्षक जी.डी.	आरक्षक चालक	योग		
(1)	(2)	(3)	राष्ट्रीय मार्ग (4)	राजकीय मार्ग (5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	रायसेन	सुल्तानपुर जोड़	एनएच-12	—	1	2	1	1	6	11
2	ग्वालियर	जोरासी घाटी एवं सिंधोली के मध्य.	झांसी रोड.	एनएच-75	1	2	1	1	6	11
3	बालाघाट	गराना का थाना वारासिवनी.	—	राजमार्ग	1	2	1	1	6	11
4	शाजापुर	ग्राम उकावता	ए.बी.रोड एन.एच.	—	1	2	1	1	6	11
5	मंदसौर	कचनारा थाना भावगढ़.	एनएच-31	—	1	2	1	1	6	11
6	भोपाल	मिसरोद	एनएच-12 होशंगाबाद रोड.	—	1	2	1	1	6	-
7	विदिशा	बासौदा रोड गुरोद चौराहा थाना-नटेशन.	—	एस.एच. 19.	1	2	1	1	6	11
8	सागर	अटा, थाना- मालथोन.	एनएच-26-ए	—	1	2	1	1	6	11
9	देवास	चापडा थाना-हाट पीपलिया.	एनएच-59-ए	—	1	2	1	1	6	11
10		टोककला थाना टोकखुर्द.	एनएच-3	—	1	2	1	1	6	11

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश
बड़वानी, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. मण्डी-निर्वा.-2014-15-11190.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर जिला बड़वानी मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी नियम 2010 के अंतर्गत बड़वानी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

अ. क्र.	धारा 11 (1) खण्ड	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	नामांकित प्रतिनिधि	पत्र व्यवहार का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	खण्ड (ड)	सेंधवा बलवाड़ी खेतिया अंजड़	श्री सुरेश चन्द्र गिरधारीलाल पालीवाल, सेंधवा श्री गोपीचंद पिता बलराम श्री ठानसिंह जेठा पंवार श्री संजय धन्नालाल पटेल संस्था अध्यक्ष	विपणन समिति मर्या. सेंधवा विपणन समिति मर्या. सेंधवा विपणन समिति मर्या पानसेमल खाण्डेराव विपणन संस्था ठीकरी
2	खण्ड (च)	बड़वानी सेंधवा अंजड़ खेतिया (पानसेमल) बलवाड़ी (सेंधवा)	श्री पी. एस. चौहान, अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी श्री अमरसिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी, सेंधवा श्री एम. एस. सोलंकी, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, अंजड़. श्री पी. एन. डाबर, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, खेतिया (पानसेमल). श्री ए. एस. मण्डलोई, कृषि वि. अधिकारी, बलवाड़ी (सेंधवा).	बड़वानी सेंधवा अंजड़ खेतिया (पानसेमल) बलवाड़ी (सेंधवा)
3	खण्ड (ज)	कृषि उपज समिति अंजड़ कृषि उपज समिति, बड़वानी. कृषि उपज समिति, सेंधवा कृषि उपज समिति, बलवाड़ी. कृषि उपज समिति, खेतिया.	श्री राजेन्द्र भावसार, संचालक बैंक श्री बालसिंह सस्ते, संचालक बैंक श्री हीरालाल जाधव, उपाध्यक्ष बैंक श्री रमेश पटेल, संचालक बैंक श्री चतरसिंह सोलंकी, संचालक बैंक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा अंजड़. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा पाटी. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा वरला. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा भगवारपुरा. जिला सह. के. बैंक मर्या. शाखा निवाली.
4	खण्ड (झ)	बड़वानी अंजड़ सेंधवा खेतिया	श्री शंकरलाल जी चौधरी, उपाध्यक्ष श्री गोविन्दजी श्रीकृष्ण तिवारी, संचालक श्री प्रेमसिंह महारिया, संचालक श्री जवसिंग भीमसिंग, संचालक	ग्राम सेगांवा, तहसील बड़वानी ग्राम देवला तहसील ठीकरी ग्राम गुमडिया तहसील निवाली ग्राम गारिया तहसील बड़वानी
5	खण्ड (ञ)	बड़वानी सेंधवा अंजड़ खेतिया बलवाड़ी	श्रीमती गायत्री करण दरबार, कृ.उ.म.बड़वानी श्री ग्यारसीलाल रावत कृ. उ. म. सेंधवा श्री अखिलेश ओमप्रकाश पटेल, कृ.उ.म.अंजड़ श्री अनिल भगवान निकुम चौधरी कृ.उ.म. खेतिया श्री अनिल देवराम सोनवणे, कृ.उ.म., बलवाड़ी	बड़वानी सेंधवा अंजड़ खेतिया बलवाड़ी

अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. 36-भू-अर्जन-2016-क्र. 05-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम—सिरलाय प.ह.नं.-46 तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	बागफल प.ह.नं.-44	2/1	0.024
			4/1	0.086
			4/2	0.061
			6/1	0.120
			7	0.020
			11/1	0.122
			12	0.118
			13	0.020
			14/1	0.008
			15/1	0.038
			15/2	0.100
			15/3	0.053
			21/3	0.053
कुल योग . .				0.823

क्र. 41-भू-अर्जन-2016-क्र. 06-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम—सिरलाय प.ह.नं.-46 तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम—बड़ीकलमेर

तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्रि, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	नरसिंहपुरा प.ह.नं.-44	21/1, 21/2 22 23	0.151 0.011 0.005
कुल योग .				0.167

क्र. 31-भू-अर्जन-2016-क्र. 04-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम—सिरलाय प.ह.नं.-46 तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्रि, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	चिचला प.ह.नं.-19	56/2	0.103

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			57/1	0.095
			57/2	0.100
			58	0.100
			60/1	0.055
			65/1	0.076
			61/4	0.012
			63/1	0.082
			63/3	0.076
			63/4	0.115
			65/2	0.023
			65/3	0.022
			81/2	0.044
			82	0.011
			83/2	0.033
			85/6	0.011
			कुल योग . .	0.958

क्र. 46-भू-अर्जन-2016-क्र. 07-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम—सिरलाय प.ह.नं.-46 तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्रि, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	खोड़ी प.ह.नं.-43	5/1	0.085

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5/3	0.124
			6/1	0.063
			6/2	0.100
			6/3	0.050
			13/1	0.149
			13/2	0.068
			14/2	0.050
			13/3	0.128
			13/4	0.048
			15	0.107
			52/2	0.197
			79	0.019
			73, 74	0.140
			82/3	0.094
			82/4	0.048
			82/5	0.048
			82/6	0.048
			86	0.070
			84	0.014
			89/1	0.076
			89/6	0.076
			89/7	0.096
			कुल योग . .	<u>1.898</u>

क्र. 51-भू-अर्जन-2016-क्र. 08-अ-82-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम—सिरलाय प.ह.नं.-46 तहसील-बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	बड़वाह	उमरिया प.ह.नं.-18	15/8	0.082
			15/9	0.011
			15/11	0.115
			227/7	0.022
			227/8	0.164
			227/9	0.180
			244/1	0.177
			245/3	0.062
			316/2	0.142
			317/1	0.013
			304/1	0.087
			304/2	0.098
			303/4	0.044
			315/2	0.125
			315/3	0.016
			308/1/3	0.054
315/1	0.044			
322/4	0.044			
322/8	0.120			
322/11	0.185			
कुल योग . .				<u>1.785</u>

मधुवंतराव धुर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 06-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	ओरछा	ओरछा	7.376	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	ओरछा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	ओरछा	नकटा	0.739	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	ओरछा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 035-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	गुनौर	गंजखाईहार ग्राम गंज	निजी भूमि रकबा 1.025 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.600 है. <u>कुल रकबा 1.625 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 036-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	गुनौर	नयागांव	निजी भूमि रकबा 4.038 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.038 है. <u>कुल रकबा 5.075 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 037-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	जिजगाँव	निजी भूमि रकबा 3.687 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 3.687 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुए रकवे) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 038-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि रकबा 0.100 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.100 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिढासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुए रकवे) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 039-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	महेबा	निजी भूमि रकबा 9.024 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.000 है. <u>कुल रकबा 10.024 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोग के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों को उपयोग का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) भोपाल	(2) हुजूर	(3) बागमुगालिया	(4) 7.244	कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक 2 राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल.	होशंगाबाद रोड से कटारा हिल्स बाईपास को जोड़ने वाली 60 मीटर चौड़ी, मास्टर प्लान की सड़क हेतु बागमुगालिया की भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भोपाल/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 308-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) उचेहरा	(3) लालपुर	(4) 6.208	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 07-सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 309-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	पनगरी	1.267	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7-सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 310-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	तुरी	2.960	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7-सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 311-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) उचेहरा	(3) मझोखर	(4) 2.670	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7-सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10-पत्र क्र. 318-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) भाद	(4) 1.694	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.10-पत्र क्र. 319-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) पिपरी	(4) 4.219	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.10-पत्र क्र. 320-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) अतरौरा कला	(4) 1.926	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.10-पत्र क्र. 321-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) इटमा उवारी	(4) 1.507	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.10-पत्र क्र. 322-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) अतरौरा खुर्द	(4) 2.643	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82) 2015-2016-1109.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	संग्रामपुर माल प. ह.नं. 31	86 134 138	0.33 0.14 0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलागांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य.
शासकीय भूमि				योग . . .	0.50	
					0.00	
				सकल योग . . .	0.50	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11-(अ-82) 2015-2016-1108.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सुरजपुरा प. ह.नं. 43	223 217 216 114	0.20 0.20 0.18 0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलागांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य.
शासकीय भूमि				योग . . .	0.76	
					0.00	
				सकल योग . . .	0.76	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12-(अ-82) 2015-2016-1107.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा (11) की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पिपराड़ी	104/3	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
		प.ह.नं. 30	100	0.10		
		रानिमं	98	0.20		
		शहपुरा	126/1	0.16		
			126/2	0.08		
			112/2	0.07		
			116	0.08		
			117/1	0.10		
			146	0.32		
			योग .	1.19		
		शासकीय भूमि		0.00		
			कुल योग .	1.19		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13-(अ-82) 2015-2016-1106.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा (11) की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	अमठेरा रैयत	10/2	0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य.
		प.ह.नं. 16/38	14/3	0.10		
		शासकीय भूमि		0.00		
			योग .	0.41		
			सकल योग .	0.41		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2015-16-1105.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरगांव प.ह.नं. 41 रानिमं शहपुरा	1424	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव मध्यम परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
				योग . . .	0.32	
				शासकीय भूमि	0.00	
				कुल योग . . .	0.32	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 1-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	मड़गांव	0.18	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीक्टरी संभाग क्र.-9 दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. 8781-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कर्वे पिपरिया, ब.नं. 47, प.ह.नं. 30/39, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 33.091 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
127/1	01.420	234	0.040
127/2	0.627	235	0.053
127/3	0.971	236	0.053
127/4	0.212	237	0.129
127/5	0.583	242/1	0.020
127/6	01.100	248/1	0.052
127/7	0.208	203/1	0.100
133	0.336	242/2	0.036
227	0.040	248/2	0.110
243	0.044	242/3	0.021
246	0.065	248/3	0.052
228	0.085	244	0.045
229	0.024	245	0.077
254/2	0.109	247/1	0.026
254/4	0.008	247/2	0.025
230	0.024	247/3	0.026
231	0.020	249/1	0.039
232	0.008	249/2	0.039
233	0.004	249/3	0.038
		249/4	0.038
		250	0.194
		251	0.125
		252/1	0.032
		384/1	0.607
		416/1	0.375
		252/2	0.093
		253/1	0.060
		387/2	0.890
		253/2	0.061
		387/1	0.350
		254/1	0.061
		254/3	0.061
		254/5	0.117
		25	0.250
		255	0.057
		256	0.061
		257	0.194
		263/1	0.062
		204/2	01.019
		263/2	0.063
		264/1	0.034
		264/2	0.018
		264/3	0.018

(1)	(2)	(1)	(2)
265	0.065	423/1	0.260
266	0.069	126/3	0.210
267	0.036	126/8	0.381
268	0.032	126/13	0.302
269/1	0.032	126/4	0.181
269/2	0.032	126/7	0.060
269/3	0.033	126/14	0.518
270/1	0.049	123/1	0.280
270/2	0.048	126/5	0.397
271	0.117	126/6	0.266
274	0.741	126/11	0.397
272	0.121	126/9	0.355
273	0.174	126/15	0.343
277	01.842	125	0.080
278	0.437	238/2 (म. प्र. शासन आबादी).	0.200 कुल मकान-17
385	0.231		
219	0.200	304 (म. प्र. शासन आबादी).	01.261 कुल मकान-35, चबूतरा पक्का- 01, श्री हनुमान जी का मंदिर, श्री दुर्गाजी का स्थापना.
279	0.486		
388	0.121		
280/1	0.427		
386/2	0.445		
417/2	0.203		
281	0.044	226 (म. प्र. शासन चरनोई).	0.809 कुल मकान-08, चबूतरा पक्का-01.
282	0.044		
283	0.049		
284/1	0.114		
378/1	0.008		
284/2	0.036		
418/1	02.479		
420/1	0.275		
422	0.400		
286/1	0.050		
305/2	0.038		
289/1	0.057		
318/2	01.041		
318/3	0.649		
204/3	01.000		
378/2	01.794		
379/1	0.300		
382/2	0.300		
383	01.801		
384/2	0.303		
416/2	0.184		
386/1	0.445		
		योग . . .	33.091
		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	
		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 8782-भू-अर्जन-2015.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भूला, ब.नं. 436, प.ह.नं. 41,

रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 62.390 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
183	0.183	127	0.040
122	0.841	134	0.900
123	0.287	131	0.704
117	1.015	181/2	0.308
285	0.061	135/2	0.079
179/1	0.385	180	0.267
41/18	0.040	179/2	0.413
17	0.109	154	0.093
19	0.049	157	0.016
18	0.113	294	0.032
14	0.490	133/2	0.126
6	0.130	293	0.028
11	0.030	169/2	0.777
41/6	0.567	292	0.028
41/8	0.356	172	0.101
267/2	0.020	176	0.364
140	1.021	177	0.384
139/1	0.587	290	0.105
138/1	0.433	133/1	0.251
		133/3	0.040
		169/1	0.251
		171/2	0.065
		390/1	0.291
		323	0.057
		325	0.057
		313/2	0.040
		40/2	0.225
		69/3	0.283
		110/6	1.512
		110/1	0.430
		110/8	0.068
		110/10	0.228
		178/3	0.364
		178/4	0.166
		326	0.049
		29/1	0.924
		29/9	0.394
		308/2	0.028
		29/2	0.980
		29/3	0.082
		277/1	0.045
		268	0.032
		342	0.020
		22/1	1.241

(1)	(2)	(1)	(2)
263	0.032	338/3	0.008
41/9	0.445	453/5	0.465
283	0.081	271	0.040
130	0.283	338/1	0.056
120/1	0.040	338/4	0.009
121/1	0.465	68/2	0.253
185, 186, 187, 195, 196	01.789	69/2	0.243
192	0.065	353/1	0.453
193	0.040	71/1	0.108
203	0.069	70	0.024
287	0.024	613	0.020
188/1	0.020	357/1	0.537
207/1	0.055	357/3	0.279
207/4	0.640	282	0.057
284/1	0.020	71/2	0.257
188/2	0.021	138/2	0.417
284/2	0.020	171/1	0.036
188/3	0.024	174	0.632
284/3	0.021	181/1	0.707
431/6	0.189	110/4	1.200
431/7	0.189	110/5	0.230
41/4	0.518	110/7	0.200
41/7	0.470	110/9	0.055
41/5	0.266	106	0.036
139/2	0.607	264	0.065
86/1	0.405	256	0.012
68/1	0.423	257	0.065
69/1	0.243	349/1	0.312
248/8	0.663	324/2	0.581
278	0.045	329	1.466
309	0.040	331/2	0.325
340/2	0.224	339/2	0.449
339/1	0.477	316/1	0.024
340/1	0.221	316/2	0.029
331/1	0.186	324/1	0.581
332	0.174	318	0.016
460	0.214	319	0.069
301/1	0.113	320	0.036
338/2	0.040	317/1	0.041
352/2	0.364	178/1	1.724
459/3	0.024	298/1	0.033
510/2	0.486	136	0.154
262	0.117	135/1	0.079
306	0.081	275/3	0.012
330	0.198		

(1)	(2)	(1)	(2)
297/1-2	0.053	277/2	0.024
298/2	0.020	248/7	0.280
298/3	0.036	307	0.049
306/2	0.032	308/1	0.045
315	0.045	357/2	0.425
310/1	0.041	357/4	0.202
310/2	0.028	261/1	0.027
311	0.036	164	0.012
312	0.045	166	0.085
302/1	0.054	168	0.873
302/2	0.121	155	0.093
295	0.032	289	0.089
273/1	0.016	128	0.030
288	0.202	132	0.607
273/3	0.016	276	0.045
273/2	0.016	170	1.011
273/4	0.012	173	0.816
275/1	0.012	175	0.049
522/1	0.219	303	0.016
265	0.036	304	0.012
286	0.024	261/2	0.082
317/2	0.028	260/1	0.004
280	0.028	260/2	0.028
341, 342	0.976	42	0.020
274	0.016	43/1-2	1.150
275/2	0.013	259	0.032
275/4	0.020	258	0.032
208	0.673	253/1	0.065
129	0.243	253/2	0.036
272/1	0.028	322	0.320
272/2	0.028	344, 345	0.362
178/2	1.214	343	1.684
121/2	0.286	254	0.045
269	0.020	351	0.344
266	0.016	349/2	0.131
267/1	0.004	302/3	0.054
23/2	0.350	281	0.077
38/1	1.155	302/4	0.054
327	0.040	279/1	0.004
328	0.061	321/1	0.018
13	1.003	331/3	0.147
40/1	0.385	346/1	0.069
105	0.295	352/1	0.034
313/1	0.122	255	0.012
314	0.040	352/7	0.034

(1)	(2)
346/5	0.069
331/7	0.147
279/5	0.004
352/4	0.034
346/2	0.069
321/2	0.018
331/4	0.147
279/2	0.004
352/6	0.034
346/4	0.068
331/6	0.147
279/4	0.004
352/5	0.034
346/3	0.069
321/3	0.017
331/5	0.147
279/3	0.004
296	0.036
305	0.036
38/3	0.383
41/10	0.020
270 (म. प्र. शासन आबादी).	कुल मकान- 154, श्री शिवजी का मंदिर, चबूतरा पक्का.
379/1 (म. प्र. शासन आबादी).	कुल मकान-27
276/2 (म. प्र. शासन आबादी चरनोई).	कुल मकान-25, शाला भवन, किचन शेड, बाथरूम.

योग . . . 62.390

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्र, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 8783-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोहगांव, ब.नं. 490, प.ह.नं. 41, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-113.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.125
8	4.800
9	0.371
10	1.917
517/1	0.140
638/2	0.445
644	0.425
441/3	0.316
430/3	0.223
442	0.409
443/1-3	1.063
439/2-3	0.833
431	0.446
298/2	0.276
429/2	0.049
416/1	0.324
415	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
295/3	0.300	661	0.395
298/3	0.026	633	0.393
309/3	0.073	657/1	0.708
348/1	0.616	411/2	0.012
600	0.874	638/1	0.526
848/3	0.603	386	0.065
430/1	0.145	626/1	0.400
419/1	0.198	387/1	0.081
418	0.380	388/2	0.093
420/1	0.194	387/2	0.040
957/1	0.595	388/1	0.093
963/1	0.390	388/3	0.028
417	0.413	360/1	0.309
957/2	0.223	357/1	0.538
410	0.040	360/2	0.310
574	0.919	357/2	0.531
303	0.081	578/2	0.220
309/2	0.461	258	0.130
413/1	0.008	587/1	0.307
413/2	0.008	587/2	0.332
414	0.032	926/1	0.162
308/3	0.375	926/4	0.141
547/1	0.311	598	0.486
970/1	0.809	317/1	0.008
546/4	0.120	597	0.680
548	1.424	599	0.651
519	0.440	317/3	0.004
521	0.845	322	0.093
573	0.312	323	0.142
549	0.200	308/1	0.242
960/1	0.332	249	0.922
960/3	0.060	250	0.251
960/5	0.061	742	0.930
960/6	0.304	743	0.200
960/2	0.324	629	0.648
960/4	0.060	637/1	0.604
624/3	0.188	255/1	1.157
483/2	0.405	297/1	0.433
626/2	0.580	255/2	1.619
658	0.757	255/3	0.405
641	0.433	255/4	0.971
416/3	0.081	297/2	0.866
416/4	0.162	265/2	0.445
416/5	0.162	279	0.417
416/6	0.318	286/2	0.243
416/7	0.243	292/2	0.485
640	0.283	298/4	0.009
411/1	0.012	308/2	0.298
316	0.016	308/5	0.405
307	0.986	848/3	0.598
313	0.085		

(1)	(2)	(1)	(2)
628	0.817	913	1.214
627	0.802	848/2	0.397
684/1	0.283	851/1	0.094
284	0.769	478	0.372
275/2	0.206	479	1.157
277/2	0.162	914	1.214
285/2	0.377	475	0.271
248/2	0.340	476/1	0.312
251	0.219	473/1	0.073
631/2	0.243	476/3	0.291
631/3	0.344	473/2	0.198
617/3	0.050	476/4	0.332
276/2	0.162	469/1	0.372
277/4	0.121	443/2	0.106
285/1	0.376	439/1	0.080
848/1	0.890	873/1	0.197
849/1, 849/7	1.056	473/3	0.198
849/2	0.405	966	0.470
851/14	0.405	955	0.328
851/16	0.405	956	0.336
631/4	0.692	958	0.397
631/1	0.344	962/1	0.137
849/3	0.405	961	0.498
849/4	0.651	924/2	0.718
849/5	1.011	441/1	0.299
849/6	0.607	917/3	0.180
476/2	0.319	469/3	0.377
619	0.464	468/3	1.093
621/2	0.121	967	0.400
851/12	0.344	468/1	0.648
851/13	0.404	470	0.053
483/1	0.633	917/1	0.783
741	0.433	265/1	0.567
252/1	2.756	465/2	0.215
739/2	0.500	924/1	0.162
240	0.688	465/1	0.097
241	0.650	265/3	0.449
248/1	0.340	286/1	0.231
747	0.600	292/1	0.486
474	0.600	917/2	0.425
461	0.283	466/2	0.186
440	0.405	467/2	0.497
430/2	0.385	468/2	0.950
639	0.510	928/3	0.400
642	0.154	428	0.470
851/15	0.809	632	0.283
483/3	0.405	419/2	0.182
480/1	0.081	429/1	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
429/3	0.088	288	0.426
420/2	0.065	298/1	0.259
421	0.243	302	0.170
422	0.388	463/2	1.134
959	0.551	466/1	0.048
463/1	0.178	466/3	0.045
469/2	0.708	466/4	0.045
804/4	0.180	466/5	0.044
441/2	0.150	657/2	0.707
441/4	0.149	357/3	0.007
944	0.841	299 म. प्र. शासन	0.081 कच्चे मकान-
962/2	0.138	चरनोई.	17.
462	0.700	301 म. प्र. शासन	0.809 कच्चे मकान-
467/1	0.494	चरनोई.	26.
621/1	0.878	355/2 म. प्र. शासन	0.012 कच्चे मकान-09
622/1	0.069	चरनोई.	
621/3	0.596	362/3 म. प्र. शासन	0.100 कच्चे मकान-
622/2	0.352	आबादी.	26, सार्वजनिक
818/2	0.118		सुलभ शौचालय
918/3	1.063		पक्का.
838/1	0.745	464 म. प्र. शासन	0.120 शाला भवन
314	0.024	आबादी गोठान.	पक्के-03,
315	0.016		बाथरूम-01.
256	0.580	460 म. प्र. शासन	0.182 शाला भवन,
260	0.032	आबादी गोठान	पक्के-03,
261	0.146		बाथरूम-01.
262	0.053		
308/6	0.208		
308/4	0.129		
412	0.101		
317/2	0.004		
309/1	0.959		
915/2	1.081		
293	0.549		
287	0.696		
289	0.739		
274	0.401		
276/1	0.162		
277/1	0.643		
281	0.376		
291	0.472		
290	0.345		
277/3	0.202		
851/2	0.305		
851/5	0.405		
915/10	0.135		
275/1	0.207		
283	0.040		

योग . . . 113.387

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1, चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-09(अ-82)2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—बजाग
(ग) ग्राम—बछरगाँव माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.80 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
634	0.12	-
633/1	0.10	-
631	0.08	-
630	0.110	-
627	0.30	-
605/1	0.08	-
605/2	0.10	-
572	0.02	-
573	0.16	-
559	0.07	-
553/3	0.06	-
553/2	0.06	-
527	0.04	-
526	0.04	-
525/1	0.05	-
528	0.08	-
531	0.08	-
524	0.06	-

(1)	(2)	(3)
523/3	0.05	-
522	0.03	-
523/2	0.05	-
635/1	0.02	-
663	0.02	-
532	0.02	-
निजी भूमि	1.800	-
शासकीय भूमि	-	-
576, 578, 592		0.070
योग . . .		0.070

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पिण्डरूखी डायवर्सन योजना हेतु ग्राम बछरगाँव माल नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-56(अ-82)2014-15-1100.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—अमनीपपरिया रै. प.ह.नं. 2/4
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.500 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436	0.320
435	0.170
434	0.200
432/1	0.160
433	0.250
431	0.560
429	0.190
योग . . .	1.850
शासकीय भूमि 437	0.650
कुल योग . . .	2.500

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—पाकर बर्घरा जलाशय के नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

क्र. 1219-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री नवनीत कुमार गोधा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार(Vigilance Litigation), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
2	श्री गिरीश दीक्षित, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर.

टिप्पणी:—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को, रजिस्ट्रार (व्ही. एल.) के पद के अतिरिक्त कार्यभार से, एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है.

क्र. 1220-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा उनके ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च स्तर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के जिले का नाम (5)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
1	श्री गजेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. D-6489-एक-7-3-15भाग-एक.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी-5959-एक-7-3-2014 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4915-एक-7-3-2014, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद-मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में गुरुवार दिनांक 24 दिसम्बर 2015 को अवकाश घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक).

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. A-5193-दो-2-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 अक्टूबर 2015 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश (दिनांक 22 से 25 अक्टूबर 2015 तक के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 27 अक्टूबर 2015 के पश्चात्पूर्वती सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

क्र. B-5613-दो-2-27-2013.—श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. व परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. A-5264-दो-2-26-2011.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. E-197-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक, दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-202-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-204-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. B-5568-दो-2-55-2015.—श्री शिशिरकांत चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5570-दो-2-66-2015.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6564-दो-2-68-2015.—श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

क्र. E-567-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 1 दिसम्बर 2015 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-569-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-571-दो-2-43-2014.—श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए अवकाश लेखा में शेष बचे 28 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-5622-दो-2-34-2010.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 28 नवम्बर 2015 से 02 दिसम्बर 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6615-दो-3-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2015 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. A-5266-दो-2-50-2015.—श्री एस. सी. पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-5268-दो-2-55-2012.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-5270-दो-3-155-2009.—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-5282-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2015 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. E-654-दो-2-39-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-664-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 20 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-666-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 28 अक्टूबर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-670-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 14 से 19 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-673-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 26 नवम्बर 2015 से 8 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-675-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-677-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. E-810-दो-2-62-2015.—श्री डी. एस. सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 26 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-814-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, भोपाल के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-828-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-830-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर का दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2015 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 21 नवम्बर 2015 का एवं दिनांक 23 नवम्बर 2015 का कुल दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। साथ ही दिनांक 20 नवम्बर 2015 की शाम से 24 नवम्बर 2015 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. 1134-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम को, उनके कार्य के अतिरिक्त, रतलाम जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री धीमन नारायण शुक्ला को रतलाम सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. B-5572-दो-3-130-2009.— श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5173-दो-2-8-2015.— श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहतीं।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. E-812-दो-2-73-2015.— श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी.(डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 से 18 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी.(डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी.(डी. ई.), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-826-दो-2-70-15.—श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 30th December 2015

No.B-5675-I-7-3-2015 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2016 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	New Year's Day	01-01-2016	Friday
2	Makar Sankranti	15-01-2016	Friday
3	Republic Day	26-01-2016	Tuesday
4	Mahashivratri	07-03-2016	Monday
5	Holi (Dhuredi)	23-03-2016	Wednesday
6	Bhai Dooj	24-03-2016	Thursday
7	Good Friday	25-03-2016	Friday
8	Gudi Padwa/Chaiti Chand	08-04-2016	Friday
9	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2016	Thursday
10	Ramnavmi	15-04-2016	Friday
11	Mahaveer Jayanti	19-04-2016	Tuesday
12	Buddh Purnima	21-05-2016	Saturday
13	Id-UI-Fitar	06-07-2016	Wednesday

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Independence Day	15-08-2016	Monday
15	Raksha Bandhan	18-08-2016	Thursday
16	Janmashtmi	26-08-2016	Friday
17	Ganesh Chaturthi	05-09-2016	Monday
18	Id-UI-Zuha	12-09-2016	Monday
19	Sarv Pitra Moksha Amavasya	30-09-2016	Friday
20	Dussehra (11-10-2016)		
	Mahanavmi	10-10-2016	Monday
		11-10-2016	Tuesday
21.	Moharrum	12-10-2016	Wednesday
22.	Deepawali (30-10-2016)	28-10-2016	Friday
		29-10-2016	Saturday
		31-10-2016	Monday
23.	Gurunanak Jayanti	14-11-2016	Monday
24.	Id-milad un-Nabi	12-12-2016	Monday

Total: 27 Days

NOTES—

1. Gandhi Jayanti dated 02-10-2016, Mahaashtmi dated 09-10-2016, Deepawali dated 30-10-2016, Christmas Day dated 25-12-2016 falls on Sunday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 9th January, 13th February, 12th March, 9th April, 14th May, 11th June, 9th July, 13th August, 10th September, 8th October, 12th November, 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 16th May 2016 to 10th June, 2016 and Winter Vacation from 23rd December 2016 to 31st December, 2016.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except) Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III-6-8/85 Pt-II dt. 26-05-2010.

VED PRAKASH, Registrar General.

CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH
FOR THE YEAR 2016

Days	JANUARY							FEBRUARY							MARCH							APRIL									
SUN.	31	3	10	17	24	31	31	7	14	21	28	28	6	13	20	27	27	3	10	17	24	31	31	3	10	17	24	31	31		
MON.	4	11	18	25	31	31	31	8	15	22	29	29	7	14	21	28	28	4	11	18	25	31	31	4	11	18	25	31	31		
TUE.	5	12	19	26	31	31	31	9	16	23	30	30	8	15	22	29	29	5	12	19	26	31	31	5	12	19	26	31	31		
WED.	6	13	20	27	31	31	31	10	17	24	31	31	9	16	23	30	30	6	13	20	27	31	31	6	13	20	27	31	31		
THU.	7	14	21	28	31	31	31	11	18	25	31	31	10	17	24	31	31	7	14	21	28	31	31	7	14	21	28	31	31		
FRI.	8	15	22	29	31	31	31	12	19	26	31	31	11	18	25	31	31	8	15	22	29	31	31	8	15	22	29	31	31		
SAT.	9	16	23	30	31	31	31	13	20	27	31	31	12	19	26	31	31	9	16	23	30	31	31	9	16	23	30	31	31		
Days	MAY							JUNE							JULY							AUGUST									
SUN.	1	8	15	22	29	31	31	5	12	19	26	31	31	3	10	17	24	31	31	7	14	21	28	31	31	7	14	21	28	31	31
MON.	2	9	16	23	30	31	31	6	13	20	27	31	31	4	11	18	25	31	31	4	11	18	25	31	31	8	15	22	29	31	31
TUE.	3	10	17	24	31	31	31	7	14	21	28	31	31	5	12	19	26	31	31	5	12	19	26	31	31	9	16	23	30	31	31
WED.	4	11	18	25	31	31	31	8	15	22	29	31	31	6	13	20	27	31	31	6	13	20	27	31	31	10	17	24	31	31	31
THU.	5	12	19	26	31	31	31	9	16	23	30	31	31	7	14	21	28	31	31	7	14	21	28	31	31	11	18	25	31	31	31
FRI.	6	13	20	27	31	31	31	10	17	24	31	31	31	8	15	22	29	31	31	8	15	22	29	31	31	12	19	26	31	31	31
SAT.	7	14	21	28	31	31	31	11	18	25	31	31	31	9	16	23	30	31	31	9	16	23	30	31	31	13	20	27	31	31	31
Days	SEPTEMBER							OCTOBER							NOVEMBER							DECEMBER									
SUN.	4	11	18	25	30	31	31	2	9	16	23	30	30	6	13	20	27	30	31	4	11	18	25	31	31	4	11	18	25	31	31
MON.	5	12	19	26	31	31	31	3	10	17	24	31	31	7	14	21	28	31	31	5	12	19	26	31	31	5	12	19	26	31	31
TUE.	6	13	20	27	31	31	31	4	11	18	25	31	31	8	15	22	29	31	31	6	13	20	27	31	31	6	13	20	27	31	31
WED.	7	14	21	28	31	31	31	5	12	19	26	31	31	9	16	23	30	31	31	7	14	21	28	31	31	7	14	21	28	31	31
THU.	8	15	22	29	31	31	31	6	13	20	27	31	31	10	17	24	31	31	8	15	22	29	31	31	8	15	22	29	31	31	
FRI.	9	16	23	30	31	31	31	7	14	21	28	31	31	11	18	25	31	31	9	16	23	30	31	31	9	16	23	30	31	31	
SAT.	10	17	24	31	31	31	31	8	15	22	29	31	31	12	19	26	31	31	10	17	24	31	31	31	10	17	24	31	31	31	

○ Sundays & Holidays
 △ Closed Saturday for Registry
 ▽ Vacation